मु. सं. 1/15 दीपक बनाम
दावा रु. 1/15

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.3.17	वकील वादी उपस्थित. दावा वादिनी अंतर्गत 125 हो चुका है. प्रतिवादी निर्णय एवं डिक्री के खिलाफ अपील प्रस्तुत की तामील किया गया। प्रकरण दैनिक कार्य हेतु दर्ज रजिस्टर हो। (विमलेश चन्द्र मीना) 1/3/17	
02.5.17	आज प्रकरण वादिनी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 CPC पर कार्यालय से तलब की गई। प्रतीक्षा के प्र.पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि निर्णय दिनांक 01.3.17 के पृष्ठ सं. 3 के पैरा सं. 1 के निर्णय में स.नं. $\frac{284}{0.62}$ के स्थान पर $\frac{284}{0.12}$ एवं पृष्ठ सं. 5 के आदेश के पैरा व डिक्री में भी इसी प्रकार क्लेरीकल गलती हो गई है जिसे सुधार कराया जाना आवश्यक है। अतः प्र.पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय डिक्री में स.नं. $\frac{284}{0.12}$ के स्थान पर $\frac{284}{0.62}$ दुरुस्त किया जावे। हमने प्रकरण के विद्वान अभिभाषक से सुना प्रार्थना पत्र की कापी सुनी तथा प्र.पत्र एवं प्रकरण का रूबरू इनिशियल अवलोकन किया वादिनी के वाद पत्र की मद सं. 2 में स.नं. $\frac{284}{0.62}$ दर्ज है तथा नकल अपीलार्थी में भी $\frac{284}{0.62}$ दर्ज है लेकिन निर्णय लिखते समय लिपिकीय त्रुटि से स.नं. $\frac{284}{0.62}$ के स्थान पर $\frac{284}{0.12}$ अंकित हो गया है जो सुनवाई के [illegible] आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार [illegible] निर्णय व डिक्री [illegible] स्थान पर $\frac{284}{0.62}$ [illegible] लाल स्याही से निर्णय व डिक्री में [illegible] अंकित किया जावे। प्रकरण दैनिक कार्य हेतु है। (विमल चन्द्र मीना)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.05 17:24:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner